<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-01 बयाना जिला भरतपुर (राज0)</u>

पीठासीन अधिकारीः-प्रशांत शर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
(लिंक अधिकारी)

विविध फौजदारी प्रकरण सं.: 53/2026
सीआईएस नम्बरः 95/2026

योगेश कुमार उर्फ योगेन्द्र आयु 35 पुत्र छगन निवासी खानखेडा पुलिस थाना सदर, बयाना जिला भरतपुर ----प्रार्थी-अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, बयाना
----अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 30/2026 पुलिस थाना सदर बयाना जिला भरतपुर अपराध अन्तर्गत धारा 303 (2) बीएनएस एवं धारा 33, 41, 51 वन अधिनियम।

उपस्थितः

1.श्री हितेन्द्र पटैल, अधिवक्ता प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित।
2.श्री महेन्द्रभूषण शर्मा, अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

:आदेशः

दिनांक 28.03.2026

1. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 बीएनएसएस के तहत जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।

2. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-01 बयाना के अवकाश पर होने से यह जमानत प्रार्थना पत्र लिंक न्यायालय में प्रस्तुत हुआ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र में यह तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त को इस प्रकरण में मिलीभगत कर झूंठा फंसाया गया है उसका इस मामले से किसी प्रकार का कोई सम्बंध एवं सरोकार नही है। उसकी धारा 480 बीएनएसएस के तहत प्रस्तुत जमानत दरख्वास्त विद्वान अधीनस्थ न्यायालय से खारिज हो चुकी है, उन्होनें वन क्षेत्र से कोई पेड नहीं काटे है जिस जगह पर परिवादी उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना स्थल बताया है वह स्थान प्रार्थीगण

के पूर्वजों की खातेदारी की जमीन है। सैटिलमेंट या रेवेन्यू कर्मचारियों की गलती से अगर उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कर दी हो तो प्रार्थी को इसकी जानकारी नहीं है। अभियुक्त-प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है और ना ही बरामदगी होना शेष है। प्रकरण के अन्य 14 सह अभियुक्तों की जमानत न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, उनसे भिन्न प्रार्थी-अभियुक्त का मामला नहीं है। उनके विरुद्व कोई आरोप मेडआडट नहीं होता है। प्रार्थी-अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है और ना ही बरामदगी किया जाना शेष है। अभियुक्त के विरुद्व ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान हो। वह न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पेश करने को तैयार है। अतः उसे जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। जबकि अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. तर्कों पर मनन किया गया तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

5. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 31.01.2026 को परिवादी श्री कुंवरसिंह पुत्र निर्भयसिंह उम्र 42 निवासी करावली, पुलिस थाना भुसावर हाल सहायक वनपाल नाका कैर बयाना जिला भरतपुर ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि रक्षित वनखण्ड खरैरी बागरैन ए की भूमि में एक राय होकर नया नगला गांव के ग्राम वासियों द्वारा भारी तादात में हस्तचलित आरा मशीन से पेडों एवं वनस्पतियों का बहुत अधिक कटान किया जा रहा है और कटान के बाद दो तीन जेसीबी मशीनों जिनका रजिस्टेशन नम्बर क्रमशः आर.जे. 05 ईए 2213, चौसिस नम्बर आरएजे 3डी एक्स 54ए 03329544 इंजन नम्बर 55ई 2200 इंजन सीरियल नम्बर एच 00389699 द्वारा वन भूमि को समतल कर कृषि प्रयोजनार्थ तैयार किया जा रखा है मुखबिर व उच्चाधिकारियों से प्राप्त सूचना पर वह कुवरसिंह सहायक वनपाल नाका इन्चार्ज व बीट प्रभारी नीरज कुमार वनरक्षक एवं श्री पुखराज वनरक्षक को साथ लेकर तत्काल मौके पर पहुंचे मौके पर जाकर देखा तो ग्राम नया नगला के करीब 90-100 महिला पुरूष मौके पर मौजूद थे मौक पर वनखण्ड खरैरी बागरेन ए को रक्षित वन भूमि पर दो जेसीबी के द्वारा वन सम्पदा को खुर्द बुर्द किया जा रहा था एवं वन भूमि को समतल किया जा रहा था। हस्त संचालित आरा मशीनों से पेडों को काटा जा रहा था एवं उक्त

लकडियों को टाटा 407 जिसका रजिस्ट्रेशन नं० आरजे 29 जीए 4198 है एवं दूसरी टाटा जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 29 जीए 6319 है, में भरा जा रहा था। उनके द्वारा मौके पर मौजूद ग्रामीण कुवरसिंह पुत्र धर्मसिंह नया नगला, बहादुर पुत्र रामधन, लच्छी पुत्र जौहरी, समय पुत्र जौहरी, अतरसिंह पुत्र गूजरमल, भीम पुत्र दुल्ली, रामप्रसाद पुत्र दुल्ली, रामराज पुत्र भीम, मलखान पुत्र नीके, हरिसिंह पुत्र तुहीराम, सभी का ग्राम नया नगला तथा लाखन पुत्र तुरसी श्यामपुरा, जोगेन्द्रसिह पुत्र छिंगा खानखेडा जेसीबी मालिक की पहचान की गई उक्त भूमि को समतल व नष्ट करने से रोका गया तो उनके द्वारा विरोध किया गया जिसकी सूचना उसके द्वारा दूरभाष पर उच्चाधिकारियो को तत्समय ही प्रेषित की गई। उच्चाधिकारियो को सूचना प्रेषित करते ही उक्त समस्त ग्रामीण मौके से दोनों जेसीबी व 407 टाटा हस्तचलित आरा मशीन इत्यादि को लेकर कुछ समय पश्चात ही मौके पर उच्चाधिकारी व रेंज कार्यालय स्टाफ व गस्तीदल शीशीएफ ऑफिस भरतपुर मौके पर पहुंचे थे। उक्त गामीणों के द्वारा लगभग 0.75 है0 रक्षित वन क्षेत्र में भूमि को जेसीबी से समतल व खुर्द-बुर्द किया गया है मौके पर ही स्टाफ के द्वारा काटे गये पेडों की ठूट गणना की गई मय गर्त सहित नाम तोल की गई उक्त गामीण के द्वारा 159 राज्य वृक्ष (खेजडी) 12 सहित अन्य सफेद खेर-71, रोझ-48, बबूल 10, पापडी 6, विरविरी 9, पीलू-2, हींगोट-1 पेड काटे गये हैं एवं अधिकतर लकड़ी को मौके से भरकर ले गये हैं कुछ लकडी कटी हुई मौके पर पड़ी हुई है इसके अलावा उक्त लोगों के द्वारा बहुत अधिक संख्या में रक्षित वन भूमि पर झाडीनुमा वनस्पतियों को भी नष्ट कर वन जीव हैवीटाट को नष्ट किया गया है। उक्त समस्त घटनाक्रम व मौक पर हुए नुकसान का विडियो बनाये गये मौके पर ही जीपीएस युक्त फोटो लिए गये व अन्य पुरुषों की पहचान व जानकारी जुटाई जा रही है। जिनके नाम श्रीमान जी को पूथक से प्रस्तुत कर दिए जावेंगे। उक्त लोगों के द्वारा रक्षित वनखण्ड खरे खरैरी, धाधरैन ए की वनभूमि को भारी मात्रा में नष्ट करने व वन्य जीव हेवीटाट को नष्ट करने राज्य वृक्ष खेजडी सहित अन्य वृक्षों को काटकर ले जाने व रक्षित वन खण्ड की वन भूमि को खुर्द-बुर्द कर समत कर नष्ट किया गया है। जिस पर पर मुकदमा संख्या 30/2026 दर्ज हुआ।

6. केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी-अभियुक्त पर संरक्षित वन क्षेत्र से वन उपज लडकी को बेईमानी पूर्वक आशय से काटकर चुराकर ले जाने से उनके विरुद्व धारा 303 (2) बीएनएस एवं धारा 33, 41, 42 वन अधिनियम के आरोप है। प्रार्थी-अभियुक्त को इस प्रकरण

में दिनांक 23.03.2026 को गिरफ्तार किया गया है, तभी से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी-अभियुक्त का पूर्व का कोई ऑपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने तथा अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है तब तक उसे न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। आरोपित अपराध में आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान नहीं है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

7. अतः प्रार्थी-अभियुक्त योगेश कुमार उर्फ योगेन्द्र आयु 35 पुत्र छगन निवासी खानखेडा पुलिस थाना सदर, बयाना जिला भरतपुर की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिस थाना सदर बयाना की प्राथमिकी संख्या 30/2026 में स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से पच्चीस हजार रूपये की मौतबिर जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका इस प्रकरण की प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी संतुष्टि का पेश कर स्वीकृत व तस्दीक करादे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जावे।

8. आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जावे।

(प्रशांत शर्मा)
(लिंक अधिकारी)

9. आदेश आज दिनांक 28.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रशांत शर्मा)
(लिंक अधिकारी)